निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प टोलन द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद

प्रकरण सं. 160/16 दावा
दायरा दिनांक :- 28-9-16
निर्णय दिनांक :- 7-6-2017

<u>वादीगण</u>

1. चन्द्रकला पत्नी राजू उर्फ राजेश्वर जाति धाकड़ नि. टोलन छीपा.
2. उषाबाई पुत्री राजू उर्फ राजेश्वर पत्नी शिव शंकर जाति धाकड़ हाल निवासी आमापुरा तह. बारां
3. ममता पुत्री राजू उर्फ राजेश्वर पत्नी केशराज जाति धाकड़ नि. टोलन हाल नि. आमापुरा तह. बारां
4. सीमा पुत्री राजू उर्फ राजेश्वर पत्नी राजू जाति धाकड़ नि. गहलेन
5. कविता पुत्री राजू उर्फ राजेश्वर पत्नी रविन्द्र जाति धाकड़ नि. टोलन हाल नि. चौकी बोरदा तह. बारां

<u>बनाम</u>

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार छीपाबड़ौद
2. कल्लूचन्द पुत्र मोतीलाल
3. आनन्दीलाल पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ नि. टोलन तह. छीपा.
4. शान्तिबाई पत्नी बरकालाल जाति धाकड़ नि. टोलन
5. राजकुमार बालक पुत्र बरकालाल जाति धाकड़ नि. टोलन
6. शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा छीपाबड़ौद

दावा अन्तर्गत धारा 88 RTA

निर्णय दिनांक 7-6-2017

अभिभाषक वादीगण द्वारा दावा पेश अन्तर्गत धारा 88 RTA विरुद्ध प्रतिवादीगण के आधार पर इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख.नं. 71 रकबा 25.14 बीघा मौजा बिजाराड़ा तह. छीपाबड़ौद में स्थित है जो मुताबिक जमाबन्दी 19 सम्वत 2069-72 में वादीगण व प्रतिवादी क्र. 2 ता के खातेदारी में दर्ज जमाबन्दी है जिसमें वादीगण का 1/4 हिस्सा एवं कब्जे काश्त में चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी मात वादनी क्र. 1 के पति व वादनी क्र. 2 ता 5 के पिता का नाम राजू है तथा वादीगण के अन्य उत्तराधिकारी न होने से नाम राजेश्वर

लगातार -

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

वादीगण के पिता व पति को गांव मे राजू के नाम से पुकारा जाता था इसलिए राजस्व रिकार्ड मे वादनीगण के पिता व पति का नाम राजू दर्ज कर दिया है जबकि वादनी क्र0 1 के नाम निर्वाचन से जारी राशन कार्ड व मतदाता पहचान पत्र मे वादनी के पति का नाम रामेश्वर दर्ज है तथा वादनी क्र0 2 व 3 के नाम शैक्षिक प्रमाण पत्र / शैक्षणिक दस्तावेज मे उनके पिता का नाम रामेश्वर दर्ज है। राजस्व रिकार्ड मे वादनीगण की वल्दियत मे नाम राजू व अन्य दस्तावेज मे वल्दियत रामेश्वर दर्ज होने से वादनीगण को उक्त आराजी के संबंध मे किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने मे काफी परेशानी हो रही है। इसलिए वादीगण राजस्व रिकार्ड मे अपनी वल्दियत मे राजू उर्फ रामेश्वर दर्ज कराना चाहती है जिसकी वादीगण कानूनी अधिकारी है। वादनीगण ने राजस्व रेकार्ड मे अपनी वल्दियत राजू उर्फ रामेश्वर दर्ज कराने के लिए प्रार्थी वादी क्र0 1 ने दिनांक 29.6.2016 को निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड मे वादनीगण के पिता का नाम राजू उर्फ रामेश्वर दर्ज करने से वादनीगण की परेशानियां कम हो जावेगी परन्तु उन्होंने वादनीगण के निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वादनीगण द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने निवेदन किया गया है।

वादिया का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादनी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबंदी ग्राम बिन्दारावा सम्वत 2069-72 खाता नं. 19, फोटो प्रति रा0 उच्च माध्य0 विद्यालय टोंक से जारी T.C, फोटो प्रति राशन कार्ड, पेश किया गया। प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर पर रखा गया। पक्षकारान को कैम्प मे उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किये गये। वादी स्वयं राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प पर उप0। कैम्प मे चन्द्रकला, मुरारीलाल शान्तीबाई के बयान लिये गये।

वादिया को सुना गया। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम बिन्दारावा सम्वत 2069-72 खा[illegible] नं. 19 के अनुसार चन्द्रकला पत्नी राजू दर्ज है फोटो प्रति T.C मे वा[illegible] जय के पिता का नाम रामेश्वर प्रसाद दर्ज है फोटो प्रति राशन[illegible] मे वादिया चन्द्रकला के पति का नाम रामेश्वर दर्ज है गवाहों द्वारा अपने बयानों मे बताया कि चन्द्रकला के पति का सही [illegible] वास्तविक नाम रामेश्वर है, तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट मे [illegible] के पति का नाम राजू उर्फ रामेश्वर दर्ज करने की अनुशंसा [illegible] रहने मे सही प्रतीत होता है कि चन्द्रकला के पति का वास्त[illegible]

लगातार

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला [illegible]

Scanned by CamScanner

[illegible]

Scanned by CamScanner

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट छीपाबड़ौद जिला बारां

डिक्री

वाद संख्या 160/16	धारा अंतर्गत 88 RTA	निर्णय दिनांक 7-6-17
समक्ष - श्री हीरालाल मीणा RAS उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी Sh. K.B. [illegible] Adv.	अभिभाषक प्रतिवादी	

वाद शीर्षक

1- भंवरकला पत्नि राजू उर्फ राजेश्वर 2- उषाबाई पुत्री राजू उर्फ राजेश्वर
3- ममता पुत्री राजू उर्फ राजेश्वर 4- सीमा पुत्री राजू उर्फ राजेश्वर
5- कविता पुत्री राजू उर्फ राजेश्वर जाति धाकड नि. ईछलन

बनाम

1- राज सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद
2- कन्हैयालाल पुत्र मोतीलाल 3- आनन्दीलाल पुत्र मोतीलाल
4- शान्तिबाई पत्नी हरकलाल जाति धाकड
5- राजकुमार दत्तक पुत्र हरकलाल जाति धाकड नि. ईछलन
6- शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा छीपा.

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प ईछलन पर स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम बिन्दुराखा के ख.नं. 77 रकबा 25 बीघा 14 बिस्वा में वादनी क्रम 1 के पति एवं वादनी क्रम 2 ता 5 के पिता का नाम राजू के स्थान पर राजू उर्फ राजेश्वर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छीपाबड़ौद को दिये जाते हैं।

साथ ही नियमानुसार.................रू0 का व्यायानुतोष.................द्वारा.................को प्रदान किया जाए

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 7-6-17 को निर्गत किया गया।

उपजिला कलक्टर
छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

व्यायानुतोष

क्र.सं.	व्ययमद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारीश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य मांग पूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		

... खसरा नम्बर 71 रकबा 25 बीघा 14 बिस्वा किस्म

Scanned by CamScanner